अ.ता.प्र.क्र. 10 10

परिशिष्ट 'अ' आदि - 12/2/2024

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

प्रकरण क्रं [क्र-10]

क्रमांक एफ 12-5/2014/सात/शा.2ए
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी, 2014

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24 के संबंध में निर्देश।

भारत का राजपत्र (असाधारण) दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 में ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 के अनुसार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके आगे अधिनियम, 2013 कहा गया है) दिनांक 01 जनवरी, 2014 से प्रवृत्त हुआ है। इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से उक्त अधिनियम की धारा 114 की उपधारा (1) के अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) (जिसे इसमें इसके आगे अधिनियम, 1894 कहा गया है) निरसित किया गया है।

2/ प्रदेश में अधिनियम, 1894 के अंतर्गत विभिन्न जिलो में अनेक मामलो में भू-अर्जन की कार्यवाही प्रचलित रही होगी। अतएव् ऐसी प्रचलित कार्यवाही के संबंध में आगामी कार्यवाही के लिए इस परिपत्र के द्वारा ऐसी स्थितियां जहां अधिनियम, 1894 के अंतर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ हुई है किन्तु पूर्ण नहीं हुई है और आगे की कार्यवाही अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की जाना अपेक्षित है, के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जा रही है।

3/ अधिनियम, 2013 की धारा 24 निम्नानुसार हैः-

24. Land acquisition process under Act No.1 of 1894 shall be deemed to have lapsed in certain cases.-	24. कतिपय मामलों में 1894 के अधिनियम 1 के अधीन भूमि अर्जन प्रकिया का व्यपगत समझा जाना.-
(1) Notwithstanding anything contained in this Act, in any case of land acquisition proceedings initiated under the Land Acquisition Act, 1894,-	(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों के ऐसे किसी मामले में-
(a) where no award under section 11 of the said Land Acquisition Act has been made, then, all provisions of this Act relating to the determination of compensation shall apply; or	(क) जहां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय नहीं किया गया है वहां इस अधिनियम के प्रतिकर का अवधारण किए जाने, संबंधित सभी उपबंध लागू होंगे; या
(b) where an award under said section 11 has been made, then such proceedings shall continue under the provisions of the said Land Acquisition Act, as if the said Act has not been repealed.	(ख) जहां उक्त धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय किया गया है, वहां ऐसी कार्यवाहियां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसी प्रकार जारी रहेगी मानों उक्त अधिनियम निरसित नहीं किया गया है।
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section(1), in case of land acquisition proceedings initiated under the Land	(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों के

05-2-2024
अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

29.1.14

Acquisition Act, 1894, where an award under the said section 11 has been made five years or more prior to the commencement of this Act but the physical possession of the land has not been taken or the compensation has not been paid the said proceedings shall be deemed to have lapsed and the appropriate Government, if it so chooses, shall initiate the proceedings of such land acquisition afresh in accordance with the provisions of this Act: Provided that where an award has been made and compensation in respect of a majority of land holdings has not been deposited in the account of the beneficiaries, then, all beneficiaries specified in the notification for acquisition under section 4 of the said Land Acquisition Act, shall be entitled to compensation in accordance with the provisions of this Act.	किसी मामले में, जहां उक्त धारा 11 के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के पांच वर्ष के बराबर या उससे अधिक पूर्व अधिनिर्णय किया गया है, किंतु भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या प्रतिकर का संदाय नहीं किया गया है, वहां उक्त कार्यवाहियों के बारे में समझा जाएगा कि वह व्यपगत हो गई हैं और समुचित सरकार यदि ऐसा चाहती है, तो वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे भूमि अर्जन की कार्यवाहियां नए सिरे से आरंभ करेगी: **परंतु** जहां अधिनिर्णय किया गया है और भूमि जोत में से अधिकतम की सम्बन्ध में प्रतिकर का निक्षेप लाभार्थियों के खाते में निक्षेप नहीं किया गया है, वहां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अधीन अर्जन के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी लाभार्थी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर के लिए हकदार होंगे।

4/ अधिनियम, 2013 की उक्त धारा 24 की उपधारा (1)(क) के अनुसार 01 जनवरी, 2014 की स्थिति में अधिनियम, 1894 के अंतर्गत की गयी कार्यवाही के मामलो में यदि अधिनियम, 1894 की धारा 11 के अधीन अवार्ड पारित नहीं किया गया है तो ऐसे मामलो में प्रतिकर (मुआवजा) का निर्धारण अधिनियम, 2013 के प्रतिकर निर्धारण संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। यदि अधिनियम, 1894 की धारा 11 के अंतर्गत अवार्ड पारित किया जा चुका है तो ऐसे मामलो में अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उपधारा (1)(ख) के अनुसार अधिनियम, 1894 के अंतर्गत इस प्रकार कार्रवाई चलती रहेगी जैसे कि भू–अर्जन अधिनियम, 1894 निरसित ही नही हुआ है।

5/ अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उपधारा (2) के अनुसार यदि किसी मामले में अधिनियम, 1894 की धारा 11 के अंतर्गत अवार्ड पारित हुए 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि बीत चुकी है और ऐसे मामलो में भूमि का भौतिक कब्जा नही लिया गया है या प्रतिकर (मुआवजा) का भुगतान नही किया गया है तो ऐसे सभी मामले स्वतः व्यपगत समझे जाएंगे और यदि ऐसे मामलो में भू–अर्जन आवश्यक है तो अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नये सिरे से भू–अर्जन की कार्रवाई करना होगी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि यदि अवार्ड पारित हो चुका है और कुल अर्जित भूमि के अधिकतम हितग्राहियों के खाते में प्रतिकर की राशि जमा नही की गयी है तो अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत भू–अर्जन के लिए जारी प्रारंभिक सूचना के समय के सभी हितग्राही अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार होंगे अर्थात् ऐसे मामलो में प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार करते हुए सभी हितग्राहियों को भुगतान करना होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन हितग्राहियों को प्रतिकर की राशि पूर्व में अधिनियम, 1894 के अनुसार पारित अवार्ड के अनुक्रम में भुगतान की जा चुकी है, ऐसी भुगतान की गयी राशि को अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार संगणित राशि से समायोजित करते हुए शेष राशि भुगतान की जाएगी।

6/ प्रतिकर के निर्धारण की संगणना हेतु अधिनियम, 2013 की अनुसूची 1 के क्रमांक 2 और 3 के अनुसरण में ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए मूल्य की अवधारण की रीति स्पष्ट करने हेतु

29.1.14

गुणक (फैक्टर) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना है, क्योंकि अधिनियम, 2013 की अनुसूची 1 में नगरीय क्षेत्रों के लिए गुणक–1 (एक) स्पष्ट है किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शहरी क्षेत्र से परियोजना की दूरी के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 01 से 02 तक भिन्न–भिन्न गुणक हो सकते हैं। अतएव् इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जाकर अधिसूचना जारी की जाएगी।

उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में आपको उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित् करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

7/ विषयांकित अधिनियम, 2013 भारत सरकार के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित किया गया है, जो http://dolr.nic.in/dolr/actandrule.asp पर उपलब्ध है। कृपया इसे डाउन–लोड कर समुचित हार्ड कॉपी तैयार कर कार्यालयीन उपयोग हेतु रखें।

(आर.के. चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क्रमांक एफ 12–5/2014/सात/शा.2ए

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी, 2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
3. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश
4. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश
5. सचिव, राजस्व मंडल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस.के.रजक)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग